



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082026-275055
CG-DL-E-01082026-275055

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4123]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 1, 2026/श्रावण 10, 1948

No. 4123]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 1, 2026/SHRAVAN 10, 1948

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4299(अ).— राष्ट्रपति, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ए. एस. राजीव, सतर्कता आयुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की अवधि पूरी होने के कारण होने वाली रिक्ति पर, रिक्ति होने की तिथि यथा दिनांक 03 अगस्त, 2026, से केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति होने तक, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

[फा. सं. 399/1/2026-एवीडी-III]

फ़ैज़ अहमद किदवई, अपर सचिव (से. और स.)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4299(E).— In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 10 of the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003), the President is pleased to authorize Shri A.S.Rajeev, Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commission, to act as the Central Vigilance Commissioner, in the vacancy to be caused due to completion of the tenure of Shri Praveen Kumar Srivastava, Central Vigilance Commissioner, with effect from the date of occurrence of vacancy, i.e., 3rd day of August, 2026, until the appointment of the Central Vigilance Commissioner.

[F. No. 399/1/2026-AVD-III]

FAIZ AHMED KIDWAI, Addl. Secy. (S&V)